न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बिमला ..... बनाम ..... लाल चन्द मु.नं. 44/24 (T.E.)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	7/3/25 पत्रावली पेश हुई। दोनों उभय पक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र T.I दिनांक 3/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) 3-4-25 पीठासीन अधिकारी हाईकोर्ट जयपुर पधारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/4/25 को पेश हो। 6/4/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पक्षकारान की अदम पैरवी व अदम दौरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली में दिनांक 03-2-2014 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	